Hart and Isian Isian The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1174] No. 1174] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2007/आश्विन 5, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007/ASVINA 5, 1929

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2007

का.आ. 1633(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिमी बंगाल), गुवाहाटी (असम) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, शैक्षणिक वर्ष, 2007-2008 से, अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिमी बंगाल), प्रत्येक में पृथक निगमित निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करती है।

[फा. सं. 52(38)/2007-एनआईपीईआर] जी. एस. संधु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

· New Delhi, the 6th September, 2007

S.O. 1633(E).—Whereas, the Central Government has decided to establish National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam) and Raebarcli (Uttar Pradesh).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 4 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby establishes National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal) each as a separate body corporate, from the academic year, 2007-2008.

[F. No. 52(38)/2007-NIPER]
G. S. SANDHU, Jt. Secy.

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1123] No. 1123]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2008/श्रावण 15, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2008/SRAVANA 15, 1930

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2008

का.आ. 1955(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) तथा रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था।

अत:, अब, राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, गुवाहाटी (असम) में शैक्षिक वर्ष 2008-09 से एक पृथक कारपोरेट निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करती है।

[सं. 52/86/2008-नाईपर]

जी. एस. संधू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2008

S. O. 1955(E).—Whereas, the Central Government had decided to establish National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam) and Raebareli (Uttar Pradesh).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby establishes National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Guwahati (Assam) as a separate body corporate, from the academic year 2008-09.

[No. 52/86/2008-NIPER]

G. S. SANDHU, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1362]

No. 1362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2008/आश्विन 4, 1930 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2008/ASVINA 4, 1930

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषधीय विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

का.आ. 2294(अ).—चूंकि केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) तथा रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय औषध मूल्य शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था।

अत: अब, राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13), यथा संशोधित 2007 (2007 का 19) की धारा 4 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से एक पृथक कारपोरेट निकाय के रूप में रायबरेली में राष्ट्रीय औषध शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करती है।

[सं. 52/29/2007-नाईपर] जी. एस. संधू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2008

S.O. 2294(E).—Whereas, the Central Government had decided to establish National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Ahmedabad (Gujarat), Hajipur (Bihar), Hyderabad (Andhra Pradesh), Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam) and Raebareli (Uttar Pradesh).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 4 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), as amended in 2007 (19 of 2007), the Central Government hereby establishes National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Raebareli as separate body corporate, from the academic year 2008-09.

[F. No. 52/29/2007-NIPER] G. S. SANDHU, Jt. Secy.